

प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी

दिनांक – 16.05.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।
- थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 03 शातिर असलहा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 07 अवैध असलहे व 66 जिन्दा कारतूस, 56 खोखा कारतूस, 05 अवैध रामपुरी धारदार छुरे व 2,87000 नगद रूपये 05 पीली धातु की अँगूठी व सफेद धातु के सिक्के, 04 मोबाइल एवं अन्य सामान बरामद,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 16.05.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एस.आई.सी स्कूल के सामने खाली पडे मैदान मे पेड के नीचे थाना सीपरी बाजार झाँसी से अभियुक्त 1. बोबी उर्फ सन्त दयानन्द महाराज पुत्र सुरेश चौहान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी जर्मनी अस्पताल के पास मुकेश श्रीवास के किराये के मकान मे थाना सीपरी बाजार झाँसी, 2. विवेक चौहान पुत्र सुरेश चौहान उम्र करीब 21 वर्ष निवासी जर्मनी अस्पताल के पास मुकेश श्रीवास के किराये के मकान मे थाना सीपरी बाजार झाँसी, 3. मुकेश कुमार श्रीवास पुत्र स्व0 घनश्याम दास उम्र करीब 53 वर्ष निवासी आदर्श नगर जर्मनी अस्पताल के पास थाना सीपरी बाजार झाँसी को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अद्धी 12 बोर व एक बण्डल मे बैग सील सर्व मुहर मय नमूना मुहर) व (01 अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर, 01 अदद अवैध पिस्टल, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद अवैध तमंचा अधिया 12 बोर, 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 49 अदद अवैध कारतूस जिन्दा 12 बोर, 31 अदद अवैध खोखा कारतूस 12 बोर, 11 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर, 22 अदद अवैध खोखा कारतूस 315 बोर, 06 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर, 03 अदद अवैध खोखा कारतूस .32 बोर, 05 अदद अवैध रामपुरी धारदार चाकू, 02 बडे सफेद धातु के सिक्के, 01 छोटा सफेद धातु का सिक्का, 01 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु, 01 अदद कडा सफेद धातु, 05 अदद अँगूठी पीली धातु व कुल 287000 रूपये नगद व 04 अदद मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी सहित गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए थाना सीपरी बाजार में मु0अ0सं0 218/2026 धारा 3/4/7/25/27 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.05.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध असलहा ओटोमेटिक व सेमीओटोमेटिक की खरीद फरोकत करने के लिए एस.आई.सी स्कूल के सामने खाली पडे मैदान मे पेड के नीचे बैठे हुए है इस पर थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान एस.आई.सी स्कूल के सामने खाली पडे मैदान मे पेड के नीचे बैठे थाना सीपरी बाजार झाँसी से घेराबन्दी करते हुए एकबारगी दबिश पकडे गये तीनो व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम बोबी उर्फ सन्त दयानन्द महाराज पुत्र सुरेश चौहान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी जर्मनी अस्पताल के पास मुकेश श्रीवास के किराये के मकान मे थाना सीपरी बाजार झाँसी बताया जिसकी जामातलाशी एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर चालू हालत में मिला व 05 अदद खोखा कारतूस व कुल 97000 रुपये नगद व दोनो हाथो मे पहने हुए 05 अदद पीली धातु की अगूँठी, 01 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु व 01 अदद कडा सफेद धातु दो अदद एण्ड्रायड मोबाईल दूसरे व्यक्ति की नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विवेक चौहान पुत्र सुरेश चौहान उम्र करीब 21 वर्ष निवासी जर्मनी अस्पताल के पास मुकेश श्रीवास के किराये के मकान मे थाना सीपरी बाजार झाँसी बताया जिसकी जामा तलाशी मे कमर के ऊपर टंगा एक नीले काले रंग का बैग बरामद हुआ जिसमें एक अदद अद्धी 12 बोर व एक बण्डल मे बैग सील सर्व मुहर मय नमूना मुहर) व 01 अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर, 01 अदद अवैध पिस्टल, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद अवैध तमंचा अधिया 12 बोर, 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 49 अदद अवैध कारतूस जिन्दा 12 बोर, 31 अदद अवैध खोखा कारतूस 12 बोर, 11 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर, 22 अदद अवैध खोखा कारतूस 315 बोर, 06 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर, 03 अदद अवैध खोखा कारतूस .32 बोर, 05 अदद अवैध रामपुरी धारदार चाकू, 02 बडे सफेद धातु के सिक्के, 01 छोटा सफेद धातु का सिक्का, 01 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु, 01 अदद कडा सफेद धातु, 05 अदद अगूँठी पीली धातु व कुल 287000 रुपये नगद व 04 अदद मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी का बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट की जेब से 01 अदद एण्ड्रायड मोबाईल बरामद हुआ। पकडे गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार श्रीवास पुत्र स्व0 घनश्याम दास उम्र करीब 53 वर्ष निवासी आदर्श नगर जर्मनी अस्पताल के पास थाना सीपरी बाजार झाँसी बताया जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकडे गये मटमैला रंग का थैला बरामद हुआ जिसको खोलकर देखा गया तो 01 अदद आटोमेटिक पिस्टल तथा 01 अदद रिवाल्वर तथा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर चालू हालत मे तथा 01 अदद रामपुरी चाकू तथा 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ,03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर , 06 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर , 03 अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद हुए तथा पहने पैन्ट की जेब से एक अदद एण्ड्रायड मोबाईल बरामद हुआ । पकडे गये तीनो व्यक्तियो से इतनी अधिक मात्रा में असलहा रखने के सम्बन्ध कडाई से पूछताछ की गयी तो पकडे गये पहले व दूसरे व्यक्ति ने बताया कि साहब हम दोनो सगे भाई है हम दोनो काफी दिनों से असलहा

खरीदने व बेचने का काम कर रहे हैं आज हम दोनो भाई अपने मकान मालिक मुकेश कुमार श्रीवास के साथ ये असलहा बेचने के लिए यहाँ पर आये थे एक व्यक्ति यहाँ ये असलहा खरीदने के लिए आने वाला था जिसको हम मौके पर ही असलहा से फायर कर चैक कराकर देते थे कि आप लोगो ने हमे पकड लिया व बरामद रुपयो व जेवरात के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो पकडे गये पहले व दूसरे व्यक्ति द्वारा बताया गया कि साहब ये रुपया व जेवरात हमे असलहा की खरीद फरोख्त करने से ही प्राप्त हुआ है। पकडे गये तीसरे व्यक्ति से असलहा रखने के सम्बन्ध मे कडाई से पूछताछ की गयी तो पकडे गये तीसरे व्यक्ति द्वारा बताया गया कि साहब ये दोनो भाई मेरे ही मकान मे किराये से रहते है, मेरे पास ये असलहा रखे हुए थे जो इन दोनो के कहने से मै भी आज यहाँ पर बेचने के लिए इनके साथ आ गया था। पकडे गये तीनों व्यक्तियो से इतनी अधिक मात्रा मे तमंचा, पिस्टल, रिवाल्वर, कारतूस व चाकू, जिन्दा कारतूस रखने का लाईसेन्स तलब किया गया तो नहीं दिखा सके थे। तीनों व्यक्तियो को दिनांक 16.05.2026 को समय 05.25 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर थाना सीपरी बाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का विवरण-

1. बोबी उर्फ सन्त दयानन्द महाराज पुत्र सुरेश चौहान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी जर्मनी अस्पताल के पास मुकेश श्रीवास के किराये के मकान मे थाना सीपरी बाजार झाँसी,
2. विवेक चौहान पुत्र सुरेश चौहान उम्र करीब 21 वर्ष निवासी जर्मनी अस्पताल के पास मुकेश श्रीवास के किराये के मकान मे थाना सीपरी बाजार झाँसी,
3. मुकेश कुमार श्रीवास पुत्र स्व0 घनश्याम दास उम्र करीब 53 वर्ष निवासी आदर्श नगर जर्मनी अस्पताल के पास थाना सीपरी बाजार झाँसी।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

एस.आई.सी स्कूल के सामने खाली पडे मैदान मे पेड के नीचे थाना सीपरी बाजार झाँसी से दिनांक 16.05.2026 को समय करीब 05.25 बजे सुबह।

बरामदगी का विवरण

1. एक अद्धी 12 बोर व एक बण्डल मे बैग
2. 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर,
3. 01 अवैध पिस्टल,
4. 01 अवैध तमंचा 12 बोर,
5. 01 अवैध तमंचा अधिया 12 बोर,
6. 02 अवैध तमंचा 315 बोर,
7. 49 अवैध कारतूस जिन्दा 12 बोर,
8. 31 अवैध खोखा कारतूस 12 बोर,

9. 11 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर,
10. 22 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर,
11. 06 अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर,
12. 03 अवैध खोखा कारतूस .32 बोर,
13. 05 अवैध रामपुरी धारदार चाकू,
14. 02 बडे सफेद धातु के सिक्के,
15. 01 छोटा सफेद धातु का सिक्का,
16. 01 ब्रेसलेट सफेद धातु,
17. 01 कडा सफेद धातु,
18. 05 अगूँठी पीली धातु
19. 04 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी
20. कुल 287000 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 जय प्रकाश चौबे
2. उ0नि0 साजेश कुमार चौकी प्रभारी मसीहागंज,
3. उ0नि0 दिलीप पाण्डेय चौकी प्रभारी ग्वालियर रोड,
4. उ0नि0 अनुराग शर्मा चौकी प्रभारी भोजला मण्डी,
5. उ0नि0 प्रदीप शर्मा चौकी प्रभारी चमनगंज
6. हे0का0 290 देवेन्द्र सिंह,
7. का0 105 मुकेश सिंह,
8. का0 नवीन कुमार,
9. रि0का0 गनेश कुमार